Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2024 = 8.153
https://www.srjis.com/issues_data/234
Peer Reviewed & Refereed Journal, MAY-JUNE 2024, Vol- 13/83

बिहार में प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियां

संजू कुमारी सरोज

सहायक शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय परसा मथुरा, परसा, सारण, बिहार- 841219.

Paper Received On: 20 May 2024

Peer Reviewed On: 24 June 2024

Published On: 01 July 2024

Abstract

स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान में चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 45 के रूप में एक मार्गदर्शिका बनी। प्रस्तुत शोध आलेख का सम्पूर्ण विश्लेषण राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा राज्यों से संकलित आंकड़ें के विश्लेषण एवं प्रकाशन पर आधारित है। वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शुरू करते समय शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) के महत्व को दोहराया गया था। केन्द्र और राज्य सरकारें प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (यूईई), ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (ओबीबी), बिहार शिक्षा परियोजना (बीईपी), उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना (यूपीबीईपी), लोक जुम्बिश, शिक्षा कर्मी परियोजना (एसकेपी), जनशाला, महिला समाख्या, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) और चल रहे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के प्रावधान का विस्तार कर रही हैं। प्राथमिक शिक्षा के विकास के संकेतक हैं- बिहार का सामाजिक-आर्थिक स्तर, शैक्षिक विकास सूचकांक, उच्च शहरीकरण की दिशा में उठाए गए कदम, नामांकन आधारित संकेतक, अवसंरचना आधारित संकेतक। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बिहार के संबंध में सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के संदर्भ में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में बिहार में शिक्षकों की भर्ती में प्रगति हुई है, जिससे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कुल आवश्यकता से शिक्षकों की संख्या फिर भी कम ही रहेंगी।

मुख्य शब्दः *शैक्षिक विकास सूचकांक (ईडीआई), प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण (यूईई), सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई), ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (ओबीबी), बिहार शिक्षा परियोजना (बीईपी), लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई)।*

परिचय

भारतीय संविधान के स्थापना के बाद से चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 45 एक मार्गदर्शक शक्ति बन गया। आजादी के 70 से अधिक वर्षों के बाद भी भारत के कुछ राज्य अभी भी सार्वभौमिक नामांकन, प्रतिधारण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय राज्य अभी भी सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा (यूईई) के सार्वभौमिकरण के

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संपूर्ण विश्लेषण जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई), 2017-18 की प्रकाशित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, फ्लैश सांख्यिकी और राज्य रिपोर्ट कार्ड के डाटाबेस पर आधारित है जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनईयूपीए) द्वारा संकलित और प्रकाशित किया गया है। लेख को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला भाग समग्र रूप से भारत में डीआईएसई के विकास और प्राथमिक शिक्षा के संबंध में इसके निहितार्थ से संबंधित है। यह यूईई के लक्ष्य को प्राप्त करने में बिहार की प्रगति पर जोर देता है। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई) एनईयूपीए द्वारा विकसित की गई थी।

वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शुरू करते समय शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) के महत्व को दोहराया गया था। स्वतंत्रता के बाद से, केंद्र और राज्य सरकारें प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (यूईई) के लक्ष्य को साकार करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान का विस्तार कर रही हैं। यूईई को प्राप्त करने के लिए कई पहल की गई हैं। यूईई प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख हस्तक्षेप अनौपचारिक शिक्षा (एनएफई), ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (ओबीबी), बिहार शिक्षा परियोजना (बीईपी), उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना (यूपीबीईपी), लोक जुम्बिश, शिक्षा कर्मी परियोजना (एसकेपी), जनशाला, महिला समाख्या, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) और चल रहे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) हैं।

मानव समाज की शुरुआत के बाद से बिहार आश्रम में उच्च शिक्षा के विभिन्न विश्व प्रसिद्ध केंद्रों के लिए बुनियादी शिक्षा प्रणाली का केंद्र था। यह वह भूमि है जो एक बार 5 वीं शताब्दी की शुरुआत में फली-फूली थी; यह वह जगह है जहां नालंदा, उत्कृष्टता का एक केंद्र, अस्तित्व में था; और आर्यभट्ट के कद के एक वैज्ञानिक ने इस भूमि में अपने गणितीय और खगोलीय हितों का अनुसरण किया था। शासन कला के क्षेत्र में, यह वह राज्य था जहां शाही संदेशों को फरमानों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता था, जो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, "हमसे ऐसी भाषा में बात करता है जिसे हम समझ सकते हैं और सराहना कर सकते हैं"। नालंदा के विनाश के बाद भी, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ भूमि का संबंध वास्तव में जारी रहा था, अबुल फजल-ए-अल्लामी ने अपने स्मारकीय काम आइन-ए-अकबरी में उल्लेख किया है कि "राजगीर में यहां अच्छा कागज बनाया जाता है"। इस गौरवशाली इतिहास के साथ, क्या यह युधिष्ठिर को आश्चर्यचकित नहीं करेगा कि गहन अकादमिक परंपरा की यह भूमि अब एक ऐसे राज्य में कैसे सिमट गई है जहां इसकी एक तिहाई से अधिक आबादी अक्षरों से रहित है? इससे भी अधिक दर्दनाक यह देखना है कि लगभग आधी महिलाएं उस बुनियादी दुर्बलता से पीड़ित हैं। सभी भारतीय राज्यों में, यह बिहार है जहां साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना ने पूरे देश के लिए 74.0 प्रतिशत की तुलना में साक्षरता

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

दर केवल 63.8 प्रतिशत दर्ज की है। साक्षरता परिदृश्य को और भी बदतर बनाता है साक्षरता दर में व्यापक लिंग असमानता है। जबकि पूरे देश के लिए, महिला साक्षरता दर (65.9 प्रतिशत) पुरुष साक्षरता दर (82.1 प्रतिशत) से 16.2 प्रतिशत कम है, बिहार के लिए अंतर 19.2 प्रतिशत (पुरुषों के लिए 73.4 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 54.2 प्रतिशत) है। इस निराशाजनक परिदृश्य में आशा की एकमात्र किरण 2001-11 के दौरान बिहार में साक्षरता का तेजी से प्रसार है, जो पूरे भारत में नहीं है। पिछले दशक के दौरान बिहार में समग्र साक्षरता दर में 17 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि पूरे देश में यह 9 प्रतिशत है। लेकिन पिछले दशक के दौरान इस बेहतर प्रदर्शन के बावजूद, बिहार में साक्षरता दर अभी भी कम है। यदि बिहार शैक्षिक प्रगति में अपनी वर्तमान गति को बनाए रखने में सक्षम है, तो उम्मीद है कि यह देश के बाकी हिस्सों के साथ-साथ लगभग दो दशकों में पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर लेगा। बिहार में साक्षरता की स्थिति के बारे में निराशाजनक स्थिति सरकार द्वारा शिक्षा की लंबी उपेक्षा का संचित प्रभाव है।

ब्रिटिश शासन के दौरान, बिहार 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की प्रमुख स्थलों में से एक था और परिणामस्वरूप, औपनिवेशिक शासन भारत के अधिकांश हिस्सों की तुलना में यहां अधिक दमनकारी था। बिहार में औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा शिक्षा की उपेक्षा उस उत्पीड़न का एक हिस्सा था। यह समस्या और भी जटिल हो गई थी, क्योंकि किसी भी औपनिवेशिक चीज से बचने की उत्सुकता में, बिहार के लोगों ने औपचारिक विद्यालयी शिक्षा से भी परहेज किया था, हालांकि सीमित पैमाने पर पहली बार ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा स्थायी बंदोबस्त की संस्था के माध्यम से सामंती ताकतों की घुसपैठ ने भी बिहार में शिक्षा के प्रसार को गंभीर रूप से रोक दिया था। सामंती ताकतें, जो साक्षरता के प्रसार के माध्यम से किसी भी सामाजिक विकास को छोड़ दें, अपने संबंधित क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी रुचि नहीं रखते थे।

दुर्भाग्य से, स्वतंत्रता के बाद भी, औपनिवेशिक प्रवृत्ति को एक विकास रणनीति के माध्यम से जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जिसने कम होने के बजाय, संसाधन आवंटन के माध्यम से वास्तव में क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक असमानता को बढ़ाया था, जो पहले से ही विकसित क्षेत्रों के पक्ष में था, बिहार जैसे वंचित राज्यों को आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से और पीछे धकेल दिया। शैक्षिक विकास के संदर्भ में, कोई भी यह समझ सकता है कि पूरे देश के लिए भी, इसकी गति बहुत धीमी रही है। आजादी के बाद पहले 50 वर्षों के दौरान, भारत में साक्षरता दर में केवल 48.1 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है – 1951 में 16.7 प्रतिशत से 2001 में 64.8 प्रतिशत, हर साल मुश्किल से एक प्रतिशत की वृद्धि। बिहार में, प्रगति और भी धीमी थी। यह प्रवृत्ति शायद यह बताती है कि शिक्षा आमतौर पर बिहार और पूरे भारत दोनों में एक उपेक्षित क्षेत्र रही है। इस तरह की उपेक्षा का कारण बनने वाले कारकों में, यह संभवतः शिक्षा पर योजनाकारों का यह

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

दृष्टिकोण है कि शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है - जो सबसे अधिक प्रासंगिक है। मोटे तौर पर, यह परिप्रेक्ष्य शिक्षा को एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के रूप में वर्णित करता है, जिसे राज्य द्वारा तब तक चलाया जाता है जब तक कि आर्थिक विकास पर्याप्त रूप से उच्च स्तर तक नहीं पहुंच जाता, जिससे लोग अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था और भुगतान करने में सक्षम नहीं हो जाते। जाहिर है, इस त्रुटिपूर्ण परिप्रेक्ष्य में, सरकार उस जिम्मेदारी को अनिच्छा से निभा रही है, और शिक्षा, इस तरह, उस क्षेत्र को बदलने के लिए आवश्यकता से बहुत कम प्राथमिकता प्राप्त करती है जिसका पहले विकास औपनिवेशिक नीतियों द्वारा निर्धारित किया गया था।

ऐसा लगता है कि हाल के वर्षों में उस परिप्रेक्ष्य में कुछ बदलाव आया है और इसके परिणामस्वरूप, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे रही हैं, विशेष रूप से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्यम से 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने में। इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य को संभवतः शिक्षा के दो महत्वपूर्ण आयामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सबसे पहले, शिक्षा को अब अमीर और गरीब के बीच और पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों के एक महत्वपूर्ण तुल्यकारक के रूप में मान्यता दी गई है। यह शिक्षा का कल्याणकारी लाभ है जो विकास को एक समावेशी परिघटना बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। दूसरे, अब यह भी महसूस किया गया है कि पर्याप्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके एक विकासशील देश अपने मानव विकास को उस स्तर तक बढ़ा सकता है जहां वह आर्थिक विकास को 'प्रोत्साहित' करने में सक्षम हो, न कि केवल अन्य ताकतों द्वारा उत्पन्न होने के बाद इसे बनाए रखने में। इस संभावना के तार्किक विस्तार के रूप में, विकास के प्राकृतिक पाठ्यक्रम में जो कुछ भी होगा, उससे 'परे' मानव संसाधन निवेश का पक्ष लेना आवश्यक है। सौभाग्यवश, सर्व शिक्षा अभियान, जिसे वर्ष 2000-01 में बिहार सहित पूरे देश में शुरू किया गया था, के अलावा प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली को मध्याह्न भोजन योजना के रूप में एक और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था जो वर्ष 2005 में सर्वसुलभ हो गई थी। हालांकि इन दो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों ने विभिन्न राज्यों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त सहायता प्रदान की थी, लेकिन विभिन्न कारणों से बिहार में इसका शायद ही कोई प्रभाव पड़ा था: विशेष रूप से राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण। हालांकि, 2005 में एक नई सरकार की स्थापना के बाद, बिहार में प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कुछ गंभीर प्रयास 2006-07 में शुरू हुए थे। नई राज्य सरकार का इरादा पहली बार अगस्त, 2006 में सामान्य स्कूली शिक्षा प्रणाली पर एक आयोग के गठन के माध्यम से व्यक्त किया गया था। आयोग का उद्देश्य राज्य में एक सामान्य स्कूली शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना था जो 2012-13 तक प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करेगा।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

आयोग ने जून, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राज्य में सभी बच्चों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा की एक प्रणाली के लिए मानदंडों और मानकों की सिफारिश करने के अलावा, रिपोर्ट में सामान्य स्कूली शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का भी अनुमान लगाया गया था। भवनों के प्रकारों के अनुसार स्कूलों के वितरण से पता चलता है कि 68.96 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में पक्के (स्थायी) भवन हैं, जबकि 4.68 प्रतिशत में आंशिक रूप से पक्के और अन्य 0.78 प्रतिशत में कच्चे (अस्थायी) भवन हैं। वास्तव में, छोटे प्रतिशत (0.04%) में एक तम्बू में भी काम कर रहे हैं। सभी स्कूलों को पक्का स्कूल भवन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाने चाहिए। दुर्भाग्य से, राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया, इसका एक कारण यह था कि इसके वित्तीय संसाधन उन सिफारिशों को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

लेकिन उसके पश्चात् राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में कई बड़े हस्तक्षेप किए थे और बिहार शिक्षा परियोजना (बीईपी) द्वारा लगभग दो वर्षों के बाद कुछ उत्साहजनक परिणाम सामने आए थे, जो राज्य में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन करता है। 2011 की जनगणना के निष्कर्ष भी उन उत्साहजनक परिणामों की पुष्टि करते हैं, राज्य में समग्र साक्षरता दर में 17 प्रतिशत अंक और महिला साक्षरता दर में 21 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में साक्षरता की प्रगति में वर्तमान गति तभी बनाए रखी जा सकती है जब राज्य में प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक और मजबूत किया जाए। अतः यह वांछनीय था कि न केवल बिहार में प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति जानने के लिए अध्ययन किया जाता, बल्कि इसकी महत्वपूर्ण कमियों की भी पहचान की जाती। इस पृष्ठभूमि में, ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर वर्तमान अध्ययन, एक प्रयास है:-

(क) बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उनके संसाधन आधार (वास्तविक और जनशक्ति) तथा उनकी सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता के संदर्भ में एक प्रचालनात्मक रूपरेखा तैयार करना;

(ख) उन संगठनात्मक, सामाजिक और अवसंरचनात्मक बाधाओं की पहचान करना जो प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में प्रचालन में हैं; और

(ग) राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के विभिन्न हितधारकों की भूमिका का विश्लेषण करना। अध्ययन के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण, जिलों की पसंद और बाद में नमूना प्रारूप के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

बिहार की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल:

2011 में 103.8 मिलियन की आबादी के साथ, बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद है। यदि हम बिहार के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल की तुलना इसके दो पड़ोसी राज्यों - उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से करते हैं - तो यह स्पष्ट रूप से उभरता है कि राज्य कई मामलों में अत्यधिक वंचित है। पहला, बिहार की विशाल आबादी कोई समस्या नहीं होती अगर इसकी कुछ अन्य जनसांख्यिकीय विशेषताएं इसके लाभ के लिए होतीं। लेकिन ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, जैसा कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए है, क्योंकि वे सभी गंगा के मैदान में हैं; लेकिन जबकि पश्चिम बंगाल पहले से ही पिछले दो दशकों में अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में सक्षम रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को अभी तक किसी भी जनसांख्यिकीय संक्रमण का अनुभव नहीं हुआ है।

2001-11 के दौरान, इन तीन राज्यों में जनसंख्या के लिए दशकीय वृद्धि दर 25.1 प्रतिशत (बिहार), 20.1 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश) और 13.9 प्रतिशत (पश्चिम बंगाल) थी। शहरीकरण के मामले में, बिहार फिर से अत्यधिक वंचित है; इसकी आबादी का केवल 10.7 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों (2001 की जनगणना) में रह रहा है। वास्तव में, बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे की स्थिति इतनी खराब है कि कई छोटे शहर वास्तव में बड़े गांव हैं। नतीजतन, बिहार में शहरीकरण का स्तर (जैसा कि जनगणना के आंकड़ों से संकेत मिलता है) अपेक्षाकृत अधिक अनुमान है। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में भी कम लिंग अनुपात है, पूरे देश के लिए 940 की तुलना में प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 916 महिलाएं। हालांकि, बिहार में बाल लिंग अनुपात (933) राष्ट्रीय आंकड़ों (914) से बहुत अधिक है। जहां तक जनसंख्या की सामाजिक संरचना का संबंध है, हम यह नोट करते हैं कि तीन सामाजिक रूप से वंचित जनसंख्या समूहों- मुस्लिम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति- में से अंतिम श्रेणी बिहार में लगभग अनुपस्थित है। बिहार में इन तीनों समूहों का संयुक्त हिस्सा 33.1 फीसदी है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 39.8 फीसदी है और पश्चिम बंगाल के लिए 53.7 फीसदी है। इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है कि बिहार में अत्यधिक वंचित सामाजिक समूहों का बोझ अपेक्षाकृत कम है। लेकिन श्रमिकों के व्यावसायिक वितरण के आंकड़ों से, यह उभरता है कि बिहार में लगभग आधे श्रमिक (48.0 प्रतिशत) भूमिहीन कृषि मजदूर हैं; उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए संबंधित शेयर क्रमशः 24.8 और 25.0 प्रतिशत हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा कृषक (41.1 फीसदी) है, पश्चिम बंगाल में अपने श्रमिकों (37.6 फीसदी) को समायोजित करने के लिए अपेक्षाकृत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इस प्रकार, बिहार में वंचित आबादी का

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हिस्सा, भूमिहीनता और धार्मिक/जाति पृष्ठभूमि दोनों को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत अधिक है, निश्चित रूप से अधिक है।

बालक-बालिका समानता सूचकांक (जीपीआई) और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के नामांकन की प्रतिशतता से पता चलता है कि जीपीआई और नामांकन में बालिकाओं की हिस्सेदारी दोनों में निरंतर सुधार हुआ है। वर्ष 2006-07 में 609 जिलों का औसत प्राथमिक कक्षाओं में 093 और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 087 जीपीआई दर्शाता है। वर्ष 2004-05 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक नामांकन में जीपीआई क्रमश 091 और 083 था। प्राथमिक नामांकन में जीपीआई इंगित करता है कि सूचकांक 28 राज्यों में 0.90 से ऊपर है। वर्ष 2006-07 में भारत का समग्र महिला-पुरुष समानता सूचकांक 093 है। बिहार में वर्ष 2006-07 के लिए स्त्री-पुरुष समानता सूचकांक 082 है। बालिकाओं के नामांकन में सुधार कुल नामांकन में बालिकाओं के हिस्से में भी परिलक्षित होता है। प्राथमिक कक्षाओं में, 2006-07 में लड़कियों के नामांकन का हिस्सा पिछले वर्ष 45 प्रतिशत की तुलना में 48.6 प्रतिशत था। उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन में लड़कियों की हिस्सेदारी 40.3 प्रतिशत है; 2005-06 में यह 35 प्रतिशत थी। प्राथमिक स्तर पर, कुल नामांकन के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नामांकन का हिस्सा 17 है। क्रमशः 6 और 13.1 प्रतिशत। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में ओबीसी नामांकन क्रमशः 59.4 और 58.4 प्रतिशत है।

शैक्षिक विकास सूचकांक:

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों के आधार पर शिक्षा के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए शैक्षिक विकास सूचकांक तथा संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के लिए संयुक्त सूचकांक की भी अलग-अलग गणना करने का प्रयास किया गया है। शैक्षिक विकास सूचकांक यूईई की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन करने के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा पर निवेश के भावी पाठ्यक्रम का निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लगभग 23 संकेतकों का उपयोग किया गया था, जिन्हें बाद में चार उप-समूहों, अर्थात् पहुंच, बुनियादी ढांचे, शिक्षकों और परिणाम संकेतकों में फिर से वर्गीकृत किया गया था। ईडीआई के प्रमुख निष्कर्षों से पता चला है कि समग्र प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के मामले में बिहार 35वें स्थान पर है, जिसमें ईडीआई 0.321 से कम है जो शीर्ष रैंक वाले राज्यों की तुलना में बहुत कम है। बिहार में वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 में ईडीआई मान कम था जो प्राथमिक और संयुक्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों के लिए कुल मिलाकर (उच्च प्राथमिक को छोड़कर) सही है।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

यूईई की ओर कदम:

भले ही शैक्षिक परिदृश्य में काफी बदलाव दिखाई दिए हैं, लेकिन भारत में राज्यों के बीच यूईई प्राप्त करने में महत्वपूर्ण असमानताएं हैं। दो भारतीय राज्यों, यानी बिहार और केरल में शैक्षिक विकास की तुलना करने का प्रयास किया गया है। बिहार भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसकी औसत साक्षरता 47% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता 59.7% और महिला साक्षरता दर 33.1% है। आज तक राज्य ने यूईई के लक्ष्य को हासिल नहीं किया है और भारत में सबसे शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है। राज्य कम औद्योगिक और कम शहरीकृत है। किसी न किसी कारण से प्रदेश में शैक्षिक परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। दूसरी ओर, केरल ने सभी बाधाओं के बावजूद शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। राज्य में साक्षरता दर 90% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 94% और महिला साक्षरता दर 87% है।

नामांकन आधारित संकेतक:

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपनाई गई विभिन्न नवाचारी कार्यनीतियों के कारण मुख्यत प्रारंभिक स्कूलों में नामांकन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में विशेष नामांकन अभियान बच्चों को स्कूलों में पंजीकरण कराने के लिए आकषत करता है। मुफ्त पाठ्यपुस्तक, वर्दी, स्टेशनरी और मुफ्त मध्याह्न भोजन जैसे प्रोत्साहन स्कूल शिक्षा प्रणाली में अधिक नए प्रवेशकों को आकर्षित करते हैं। यदि हम केरल और बिहार राज्यों की पुनरावृत्ति दर और ड्रॉप-आउट दर की तुलना करते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाता है। इसी तरह, अगर हम प्राथमिक ग्रेड में छात्रों की ड्रॉप-आउट दर की तुलना करते हैं, तो अंतर उल्लेखनीय है। कक्षा एक में, बिहार में 3.8% छात्र स्कूल प्रणाली छोड़ रहे हैं, जबकि केरल के पूर्ण '0' छात्र हैं। यह स्पष्ट रूप से बिहार शिक्षा प्रणाली की कमी को दर्शाता है ताकि सभी बच्चों को अगली कक्षा में जारी रखने के लिए बनाए रखा जा सके। अन्य कारण नामांकन दोहराव या फर्जी नामांकन आंकड़े हो सकते हैं। पांचवीं कक्षा के पूरा होने पर एक आश्चर्यजनक अंतर फिर से देखा जाता है जो बिहार में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक शिक्षा तक एक संक्रमण चरण है। इससे पता चलता है कि 31% छात्र प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसके पीछे का कारण उच्च प्राथमिक विद्यालय तक पहुंच प्राप्त करने की समस्या हो सकती है। दोनों राज्यों में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाले कुल छात्रों से पता चलता है कि बिहार में लगभग 9.3 प्रतिशत छात्र शिक्षा प्रणाली छोड़ देते हैं, जबकि केरल में यह आंकड़ा 2 प्रतिशत है।

अवसंरचना आधारित संकेतक:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए अवसंरचनात्मक संसाधन पूर्व-आवश्यकताएं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की सिफारिशों के अनुसार, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश के कई हिस्सों में शुरू की

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

गई थी। हालांकि स्कूल परिसर में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं, लेकिन फिर भी, स्कूल स्तर पर सार्थक गुणवत्ता शिक्षण अधिगम प्रदान करने में कई बाधाएं हैं। एक स्कूल में सीखने के माहौल को बढ़ाने के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं आवश्यक आवश्यकताएं हैं। दोनों राज्यों में बुनियादी सुविधाओं के मामले में भी महत्वपूर्ण अंतर है। उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि बिहार में प्राथमिक स्कूल में औसतन दो कक्षा-कक्ष और प्रति उच्च प्राथमिक स्कूल में चार कक्षा-कक्ष की तुलना में केरल में एक प्राथमिक स्कूल में औसतन छह कक्षा-कक्ष और प्रति उच्च प्राथमिक स्कूल में दस कक्षा-कक्ष हैं। इससे पता चलता है कि बिहार अभी भी प्रत्येक ग्रेड के लिए अच्छी संख्या में कक्षाएं प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में 2800 स्कूलों और कक्षा के बिना 15 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निराशाजनक आंकड़ा है। इसी तरह, बिहार में 11 फीसदी प्राथमिक विद्यालय एकल कक्षा वाले स्कूल हैं, जबकि केरल में 0.8 फीसदी स्कूल हैं। केरल में 0.5% प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षक स्कूल हैं, जबकि बिहार में 6.8% स्कूलों का प्रबंधन पांच प्राथमिक ग्रेड के लिए एकल शिक्षक द्वारा किया जाता है। अन्य आधिकारिक प्रशासनिक कार्य के साथ-साथ नामांकित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके लिए दूर का सपना होना चाहिए। यह केरल के प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अपर्याप्तता की समस्या पर सीधे ध्यान केंद्रित करता है। उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि बिहार में प्राथमिक स्कूल में औसतन दो कक्षा-कक्ष और प्रति उच्च प्राथमिक स्कूल में चार कक्षा-कक्ष की तुलना में केरल में एक प्राथमिक स्कूल में औसतन छह कक्षा-कक्ष और प्रति उच्च प्राथमिक स्कूल में दस कक्षा-कक्ष हैं। इससे पता चलता है कि बिहार अभी भी प्रत्येक ग्रेड के लिए अच्छी संख्या में कक्षाएं प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में 2800 स्कूलों और कक्षा के बिना 15 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निराशाजनक आंकड़ा है। इसी तरह, बिहार में 11 फीसदी प्राथमिक विद्यालय एकल कक्षा वाले स्कूल हैं, जबकि केरल में 0.8 फीसदी स्कूल हैं। केरल में 0.5% प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षक स्कूल हैं, जबकि बिहार में 6.8% स्कूलों का प्रबंधन पांच प्राथमिक ग्रेड के लिए एकल शिक्षक द्वारा किया जाता है। अन्य आधिकारिक प्रशासनिक कार्य के साथ-साथ नामांकित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके लिए दूर का सपना होना चाहिए। यह केरल के प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अपर्याप्तता की समस्या पर सीधे ध्यान केंद्रित करता है।

निष्कर्ष:

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बिहार के संबंध में सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के संदर्भ में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें 91 का उच्च छात्र कक्षा अनुपात है (36 के अखिल भारतीय आंकड़े के मुकाबले)। 17% से अधिक स्कूलों में 100

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

से अधिक विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षक पढ़ा गया है। बिहार में बच्चों को प्रौद्योगिकी-संवर्धित-सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि केवल 3% स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा है। राज्य को सभी स्कूलों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी पहल करने की आवश्यकता है क्योंकि बिजली कनेक्शन वाले स्कूलों के आंकड़े काफी निराशाजनक हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए गए उपायों के बाद देश भर में प्रारंभिक शिक्षा सुविधाओं के उपयोग और प्रावधानों में वृद्धि हुई है। अवसंरचना में सुधार, और अधिक शिक्षकों को नियुक्त करने तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बिहार राज्य में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। शैक्षिक उपलब्धि, नामांकन और उपलब्धि के संदर्भ में महिला-पुरुष अंतराल में पिछड़ने के अंतनहित कारणों की पहचान किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जमीनी स्तर पर उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

स्रोत: विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, डीआईएसई 2006-07, एनयूईपीए

एमएचआरडी (1986): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा विभाग, एमएचआरडी, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1986

एमएचआरडी (1986): कार्य योजना, विभाग शिक्षा विभाग, एमएचआरडी, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1986

एमएचआरडी (2001): एसएसए फ्रेमवर्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, शिक्षा विभाग, एमएचआरडी, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2001 /

एनयूईपीए (2008): जिला रिपोर्ट कार्ड 2006-07, भारत में प्रारंभिक शिक्षा: हम कहां खड़े हैं? एनयूईपीए, नई दिल्ली

मेहता, एसी (2008): विश्लेषणात्मक रिपोर्ट 2006-07, भारत में प्राथमिक शिक्षा: यूईई, एनयूईपीए, नई दिल्ली की ओर प्रगति।

एनयूईपीए (2008): राज्य रिपोर्ट कार्ड 2006-07, भारत में प्राथमिक शिक्षा: हम कहां खड़े हैं? एनयूईपीए, नई दिल्ली।

बीईपी: बिहार शिक्षा परियोजनाओं की रिपोर्ट।

यूनिसेफ Indiahttps://www.unicef.org › भारत › कहां-हम-काम करते हैं › बिहार

बिहार शिक्षा परियोजना Councilhttps://www.bepcssa.in

स्रोत: विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, डीआईएसई 2017-18, एनयूईपीए

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies